

व्यापक सामाजिक सुरक्षा सहायता Comprehensive Social Security Assistance Scheme

आत्म-निर्भरता के लिए समर्थन योजना Support for Self-reliance Scheme

बेरोजगार समर्थ, व्यापक सामाजिक सुरक्षा सहायता (Comprehensive Social Security Assistance) प्राप्तकर्ता व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त करने और आत्म-निर्भरता की तरफ बढ़ने के लिए प्रोत्साहित और सहायता प्रदान करता है।

Encourages and assists unemployed able-bodied Comprehensive Social Security Assistance recipients to secure employment and move towards self-reliance.

आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए काम करना सर्वोत्तम तरीका है।
Working is the best way to achieve self-reliance

भूमिका

आत्म-निर्भरता के लिए समर्थन (एसएफएस) योजना, व्यापक सामाजिक सुरक्षा सहायता (सीएसएसए) योजना के अंतर्गत एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य 15 से 59 वर्ष की आयु के समर्थ लोगों (तत्पश्चात सामूहिक रूप से आवेदक उल्लेखित) जो बेरोजगार हैं अथवा सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा नियत, निर्धारित स्तर से कम मासिक कार्य घंटे अथवा आय प्राप्त करते हैं, को पूर्णकालिक सवेतन रोजगार और आत्म-निर्भरता के लिए प्रोत्साहित करना तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

आवास जरूरत और वित्तीय जांच की संतुष्टि के अतिरिक्त, समर्थ आवेदक को सहायता प्राप्त करने की शर्त के रूप में एसएफएस योजना में पंजीकरण कराना होगा।

एसएफएस योजना के घटक

एसएफएस योजना में तीन मुख्य घटक शामिल हैं:

- (1) सक्रिय रोजगार सहायता (ईईए)
- (2) सामुदायिक कार्य (सीडब्ल्यू) कार्यक्रम
- (3) उपेक्षित आय प्राप्ति (डीई)

दायित्व

किसी भी आवेदक को सीएसएसए प्राप्त करते समय, उसे रोजगार प्राप्त करने में मदद के लिए रोजगार सहायता परियोजना में भाग लेने सहित समस्त गतिविधियों में भाग लेने के लिए उसके द्वारा किए गए ठोस प्रयासों को प्रमाणित करना होगा।

गैर-अनुपालन के परिणाम

कोई आवेदक सीएसएसए का पात्र नहीं है यदि वह एसएफएस योजना के अंतर्गत किसी अनिवार्यता के अनुपालन में असफल रहता/रहती है। ऐसे मामले में सामाजिक कल्याण निदेशक करेंगे:

- सीएसएसए के लिए उसके आवेदन की प्रक्रिया स्थगित
- उसका और उसके घर के अन्य सदस्यों को आगे सीएसएसए भुगतान किया जाना निरस्त कर देंगे यदि उनका सीएसएसए के लिए आवेदन स्वीकार किया गया हो; और
- गैर-अनुपालन के कारण, उसे किए गए अधिक सीएसएसए भुगतान की अदायगी करने का अनुरोध करेंगे, यदि कोई हो।

ईईए कार्यक्रम

किसी आवेदक के रोजगार सहायता सेवा प्राप्त करने के लिए रोजगार सहायता परियोजना में पंजीकरण की व्यवस्था की जाएगी।

सीडब्ल्यू कार्यक्रम

किसी आवेदक को काम करने की आदत विकसित करने, रोजगार योग्यता में सुधार, सामाजिक नेटवर्क में विस्तार, स्वाभिमान में वृद्धि, अंतिम लाभदायक रोजगार प्राप्ति का मार्ग सरल बनाने में उसकी मदद के लिए सामुदायिक कार्य पूर्ण करना जरूरी है।

उपेक्षित आय प्राप्तियां

रोजगार प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए सीएसएसए प्राप्तकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, सीएसएसए योजना के अंतर्गत डीई का प्रावधान है। डीई के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं हैं:

- मासिक आय जो कोई प्राप्तकर्ता अपने काम से पाता है, को एक निर्धारित सीमा तक आंशिक रूप से उपेक्षित समझा जाएगा;
- पहले माह की आय जो कोई प्राप्तकर्ता अपने नए काम से पाता है, को पूर्णतः उपेक्षित समझा जाएगा।

पहले काम सिद्धांत

एसडब्ल्यूडी उनके लिए एक सुरक्षा तंत्र उपलब्ध कराने के प्रति वचनबद्ध है जो वास्तव में जरूरतमंद हैं और स्वयं की अथवा अपने परिवार की सहायता नहीं कर सकते। फिर भी, किसी बेरोजगार समर्थ आवेदक को सीएसएसए से अनुदान प्रदान करना कठिन वित्तीय समय से पार पाने के लिए उसकी सहायता का केवल अस्थायी उपाय है। रोजगार प्राप्त करना और उसे बनाए रखना तथा अपनी और अपने परिवार की सहायता करना एवं आत्म-निर्भर होना उसका स्वयं का दायित्व है।

अपील

यदि कोई आवेदक सीडब्ल्यूडी द्वारा लिए गए किसी निर्णय से असहमत है, उसके पास अपील दायर करने का अधिकार है। ऐसी अपील सीडब्ल्यूडी द्वारा जारी अधिसूचना की तिथि से चार सप्ताह के भीतर दायर की जानी जरूरी है। अपील प्रक्रिया के बारे में जानकारी किसी भी सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रीय इकाई से ली जा सकती है।

पूछताछ

सीएसएसए योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया <http://www.swd.gov.hk> पर एसडब्ल्यूडी का मुखपृष्ठ देखें अथवा नजदीकी सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रीय इकाई से पूछताछ करें। आप 2343 2255 पर फोन कर अथवा 2763 5874 पर फैक्स द्वारा भी विभागीय हॉटलाइन सेवा इकाई से संपर्क कर सकते हैं।

Introduction

The Support for Self-reliance (SFS) Scheme is a programme under the Comprehensive Social Security Assistance (CSSA) Scheme, which aims to encourage and assist able-bodied persons aged 15 to 59 and being unemployed or with monthly working hours or earnings less than the prescribed level set by the Social Welfare Department (thereafter collectively called the applicant) to move towards full-time paid employment and self-reliance while providing them with financial assistance.

In addition to satisfying the residence requirement and financial tests, an able-bodied applicant has to enroll in the SFS Scheme as a condition of receiving assistance.

Components of the SFS Scheme

The SFS Scheme comprises three main components:

- (1) Active Employment Assistance (AEA)
- (2) Community Work (CW) Programme
- (3) Disregarded Earnings (DE)

Obligations

An applicant has to prove himself/herself to be making substantial efforts to participate in all activities, including to participate in the employment assistance project to help him/her secure employment while receiving CSSA.

Consequences of non-compliance

An applicant is not eligible for CSSA if he/she fails to comply with any of the requirement under the SFS Scheme. In such case, the Director of Social Welfare will:

- cease processing his/her application for CSSA
- terminate further CSSA payment to him/her and other members of his/her household if his/her application for CSSA has been approved; and
- request him/her to repay the overpaid CSSA payment, if any, arising from the non-compliance.

AEA Programme

An applicant will be arranged to enroll in the employment assistance project to receive employment assistance service.

CW Programme

An applicant is required to perform community work to help him/her develop a work habit, improve employability, widen social network, enhance self-esteem, pave the way for eventual gainful employment and contribute to society in parallel to job search process.

Disregarded Earnings

With an aim to encourage CSSA recipients to secure and sustain employment, there is the provision of DE under the CSSA Scheme. The arrangements for DE are as follows:

- monthly income that a recipient earns from his/her job will be partially disregarded up to a prescribed limit;
- the first month's income that a recipient earns from a new job will be totally disregarded.

Work First Principle

SWD is committed to providing a safety net for those who are in genuine need and cannot support themselves or their families. However, the granting of CSSA to an unemployed able-bodied applicant is only a temporary measure to assist him/her to tide over a period of financial hardship. He/She has the obligation to secure and sustain employment and support himself/herself and his/her family and to become self-reliant.

Appeals

If an applicant disagrees with a decision made by SWD, he/she has the right to lodge an appeal. An appeal must be lodged within four weeks from the date of the notification issued by SWD. Enquiries about appeal procedures can be made at any Social Security Field Unit.

Enquiries

For more information about the SFS Scheme, please visit SWD Homepage at <http://www.swd.gov.hk> or make enquiry at the nearest Social Security Field Unit. You may also contact the Departmental Hotline Service Unit by phone at 2343 2255 or by fax at 2763 5874.